प्रेस नोट–जनपद बिजनौर दिनॉक 09.03.2026

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और कुल 2,10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

कार्यवाही:–

दिनांक 23.09.2019 को वादी ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त योगेश पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मडका थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया तथा उसकी हत्या कर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 489/19 धारा 366 भादवि पंजीकृत किया गया तथा उपरोक्त अभियोग को धारा 302/201 भादवि में तरमीम किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 09.03.2026 को माननीय न्यायालय ए0डी0जे0-07, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 489/19 धारा 302/201 भादवि से संबंधित अभियुक्त योगेश पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम खुशहालपुर मड़का थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व कुल 2,10,000/- हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता –

योगेश पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम खुशहालपुर मड़का थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना किरतपुर **दिनांक 09.03.2026**

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 55/2026 धारा 3(5)/109/110/352/351(3) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया व 02 बाल अपचारियों को पुलिस निगरानी में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.03.2026 को वादी श्री ईश्वर दयाल पुत्र मथुरा सिंह निवासी ग्राम पाडला थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी गई कि दिनांक 07.03.2026 को अभियुक्त शिवा पुत्र सुशील निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर व 02 बाल अपचारियों द्वारा वादी के पुत्र के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई।

इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 55/2026 धारा 3(5)/109/110/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 09.03.2026 को उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शिवा पुत्र सुशील निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया व 02 बाल अपचारियों को पुलिस निगरानी में लिया गया तथा घटना मे प्रयुक्त डंडा बरामद किया गया । अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.शिवा पुत्र सुशील निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2.02 बाल अपचारी (पुलिस निगरानी में)।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक डंडा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री रोबिन कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2.का0 2428 अरविन्द थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3.का0 1947 सोनू सहगल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
4.का0 2519 अंकित थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना चांदपुर **दिनांक 09.03.2026**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 111/26 धारा 115(2)/352/118(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.03.26 को वादी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मलखान सिंह निवासी ग्राम सब्दलपुर खुर्द थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. संजय पुत्र आशाराम 2. पवन पुत्र छतरपाल, 3. पुष्पेन्द्र पुत्र छतरपाल समस्त निवासीगण ग्राम सब्दलपुर खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ गाली गलौच, मारपीट करते हुए वादी को घायल कर दिया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 111/2026 धारा 115(2)/352/118(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 09.03.26 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त पुष्पेन्द्र पुत्र छतरपाल निवासी ग्राम सब्दलपुर खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पुष्पेन्द्र पुत्र छतरपाल निवासी ग्राम सब्दलपुर खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 श्री सन्दीप पवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.हे0का0 718 सचिन कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना नगीना **दिनांक – 09.03.2026**

थाना नगीना पुलिस द्वारा 01 नफर वाछिंत अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

घटना एंव कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 07.03.2026 को वादी जयराम सिंह पुत्र लाला सिंह निवासी ग्राम बूढावाला थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा थाना नगीना पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 03.03.2026 को अभियुक्तगण नेतराम व चेतराम पुत्रगण निहाल सिंह निवासी उपरोक्त द्वारा वादी के पुत्र के साथ लाठी-डन्डों से मारपीट की गयी, जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गया और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी।

इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 59/2026 धारा 105 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 09.03.2026 को थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त नेतराम पुत्र निहाल सिंह निवासी ग्राम बूढावाला थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नेतराम पुत्र निहाल सिंह निवासी ग्राम बूढावाला थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री जोगेन्द्र बैंसला थाना नगीना, बिजनौर

2.का0 1571 सुरजीत कुमार थाना नगीना, बिजनौर